प्रदेश के सम्मानित किसानों (एल0एम0वी0–5 / निजी नलकूप) के लिए लागू मुफ्त विद्युत योजना से सम्बन्धित पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न (FAQ)

प्रश्न सं0 1:– सभी निजी नलकूप उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है ?

उत्तरः–

- सभी ग्रामीण एवं शहरी निजी नलकूप उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके लिए सभी उपभोक्ता वेबसाइट पर पंजीकरण अवश्य कराएं।
- उपभोक्ता अपना पंजीकरण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर, जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) अथवा स्वयं उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर कर सकते है।
- प्रदेश सरकार ने सरचार्ज माफ करने की सुविधा दी है। ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल बकाया है, उन्हें पंजीकरण कराने हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण हेतु जमा करना होगा एवं शेष बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करना होगा।
- ऐसे उपभोक्ता जिनका दिनांक 31 मार्च 2023 तक कोई बकाया नहीं है, वे बिना कोई धनराशि जमा किये ही पंजीकरण करा योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों का पालन करने हेतु सहमति व सूचना ऑनलाईन देनी होगीः–

(i) संयोजन पर मीटर स्थापित करने हेतु सहमति।

(ii) उक्त संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान (यदि कोई हो तो) योजना में दिए गए प्राविधान के अनुसार करना होगा।

(iii) KYC (Know Your Customer) की कार्यवाही पूर्ण करानी होगी अर्थात् उपभोक्ता को अपने 'आधार' नम्बर/मोबाइल नम्बर की सही जानकारी देते हुए KYC करानी है।

(iv) उक्त संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब और एक पंखा अनुमन्य होगा, जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

(v) उपभोक्ता के निजी नलकूप के अलावा अन्य समस्त संयोजनों (स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग सम्बन्धी संयोजन सहित) का विवरण KYC (Know Your Customer) के साथ दिया जाएगा।

(vi) प्रत्येक तिमाही में कुल खपत की गयी विद्युत में 420 यूनिट/किलोवाट की दर से (140 यूनिट/किलोवॉट/माह) छूट दी जायेगी। विद्युत बिल प्रत्येक तिमाही में प्राप्त होगा, अर्थात 03 माह का बिल एक साथ दिया जायेगा।

(vii) उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल (यदि कोई हो तो) का नियमित भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न सं0 2:– इस योजना का लाभ उठाने हेतु किस तिथि तक पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तरः–

- पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।
- ऐसे उपभोक्ता जिन पर 31 मार्च, 2023 तक बकाया है उन्हें मूल बकाये की धनराशि का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि जमा करने के बाद ही पंजीकरण पूर्ण माना जायेगा। शेष बकाया राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

प्रश्न सं0 3:– यदि कोई बकाया नहीं है, क्या तब भी पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तरः– जी हाँ। ऐसे उपभोक्ता जिन पर कोई बकाया नहीं है उन्हें बिना कोई पंजीकरण धनराशि जमा किये ही पंजीकरण कराना होगा।

04/05/24 4.5.24

प्रश्न सं0 4:– यदि पिछले ओ0टी0एस0 योजना में पंजीकरण कराया गया है एवं किश्तों का भुगतान भी समय से किया जा रहा है, क्या तब भी पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तर:– जी हाँ, समस्त उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना आवश्यक है।

- ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा पिछले ओ0टी0एस0 योजना में पंजीकरण कराया गया है एवं किश्तों का भुगतान समय से कर रहे हैं, उन्हें बिना कोई धनराशि जमा किये ही पंजीकरण कराना होगा तथा ओ0टी0एस0 योजना की शेष बकाया सभी किश्तों के भुगतान करने पर ही वह दिनांक 01.04.2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति हेतु पात्र होगें।

प्रश्न सं0 5:– यदि पिछले ओ0टी0एस0 योजना में पंजीकरण कराया गया है, परन्तु किश्तों के भुगतान में डिफाल्ट किया गया है, क्या तब भी पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तर:– जी हाँ।

- ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा पिछले ओ0टी0एस0 योजना में पंजीकरण कराया गया है, परन्तु किश्तों के भुगतान में डिफाल्ट किया गया है, उनके द्वारा ओ0टी0एस0 योजना में किये गये भुगतान को आंशिक भुगतान मानकर समायोजित किया जायेगा। तत्पश्चात् दिनांक 31.03.2023 को अवशेष मूल बकांये का 30 प्रतिशत जमा करके पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न सं0 6:– पंजीकरण कहाँ कराना होगा ?

उत्तर:– उपभोक्ता अपना पंजीकरण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर, जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) अथवा स्वयं उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर कर सकते है।

प्रश्न सं0 7:– पंजीकरण की धनराशि कहां जमा की जा सकती है ?

उत्तर:– उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराने के लिए उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर अथवा जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर अपना विवरण दर्ज कराकर सूचना विवरण पत्र प्राप्त कर सकता है। इस सूचना विवरण पत्र को लेकर उपभोक्ता सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर, विद्युत सखी, मीटर रीडर, जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) अथवा उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण राशि जमा करा सकता हैं। पंजीकरण धनराशि जमा करने के उपरान्त ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

प्रश्न सं0 8:– उपभोक्ता किश्तों की धनराशि को कहाँ जमा कर सकता हैं ?

उत्तर:– उपभोक्ता किश्तों की धनराशि को सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर, विद्युत सखी, मीटर रीडर, जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर अथवा ऑनलाइन जमा कर सकता हैं।

प्रश्न सं0 9:– मैं एक किसान हूँ। मेरे निजी नलकूप का कनेक्शन बिल भुगतान न किये जाने के कारण काफी समय से कटा हुआ है। क्या मैं इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ ?

उत्तर:–

- जी हाँ। यदि संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित है तो पी0डी0 फाइनल बिल में दर्शाये गये बकाये के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अधिभार में छूट दी जायेगी। उपभोक्ता द्वारा शेष धनराशि को एकमुश्त जमा करना होगा। मुफ्त विद्युत योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को नया निजी नलकूप संयोजन लेना होगा।
- यदि संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदित है तो पंजीकरण धनराशि जमा करने के पश्चात् कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा। उपभोक्ता को शेष धनराशि (चुने गये विकल्प के अनुसार एकमुश्त अथवा सभी किश्तों) का समय से भुगतान करने पर मुफ्त विद्युत योजना का लाभ दिया जायेगा।

प्रश्न सं0 10:– मेरे निजी नलकूप के बिल–बकाये का प्रकरण मा0 न्यायालय/फोरम में लम्बित है, क्या मैं भी इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ ?

उत्तरः–

- जी हाँ, निजी नलकूप के बिजली बिल सम्बन्धी प्रकरण जो किसी भी मा0 न्यायालय/फोरम में लम्बित हैं, को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- उपभोक्ता को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय में जाकर पंजीकरण की अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी देना होगा कि **"यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है, तो समाधान होने पर और पूर्ण** भुगतान करने के बाद उनके द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।"

प्रश्न सं0 11:– मेरे निजी नलकूप कनेक्शन पर 63 हजार रूपये का बकाया है। क्या योजना में किश्तों में पैसा जमा करने की छूट मिलेंगी ?

उत्तरः–

- जी हाँ।
- निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाये का एकमुश्त अथवा 03 या 06 किश्तों में भुगतान करने के विकल्प का चयन कर सकता है।
- उदाहरणस्वरूप यदि उपभोक्ता का कुल बकाया रू0 63,000 है, जिसमें से मूल बकाया धनराशि रू0 50,000 एवं ब्याज/सरचार्ज की धनराशि रू0 13,000 है। तीनों विकल्पों में निम्नानुसार छूट मिलेगीः–

विकल्प (क) – एकमुश्त भुगतान पर ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) में 100% छूट दी जायेगी।

a) मूल बकाया = रू0 50,000 b) सरचार्ज/ब्याज = रू0 13,000 c) कुल बकाया = रू0 63,000 d) छूट की धनराशि (ब्याज/सरचार्ज की धनराशि का 100%) = रू0 13,000
e) उपभोक्ता द्वारा देय कुल धनराशि = रू0 50,000 • पंजीकरण धनराशि (मूल बकाया धनराशि का 30 प्रतिशत) = रू0 15,000 • एकमुश्त भुगतान की धनराशि = रू0 35,000

विकल्प (ख) – 03 मासिक किश्तों में ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) में 90% छूट दी जायेगी।

a) मूल बकाया = रू0 50,000 b) सरचार्ज/ब्याज = रू0 13,000 c) कुल बकाया = रू0 63,000 d) छूट की धनराशि (ब्याज/सरचार्ज की धनराशि का 90%) = रू0 11,700
e) उपभोक्ता द्वारा देय कुल धनराशि = रू0 51,300 • पंजीकरण धनराशि (मूल बकाया धनराशि का 30 प्रतिशत) = रू0 15,000 • 03 किश्तों में भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि = रू0 36,300 (i) प्रथम किश्त = रू0 12,100 (ii) द्वितीय किश्त = रू0 12,100 (iii) तृतीय किश्त = रू0 12,100

4.5.24

विकल्प (ग) – 06 मासिक किश्तों में ब्याज/विलम्ब अधिभार (**LPSC**) में **80%** छूट दी जायेगी।

a) मूल बकाया = रू0 50,000 b) सरचार्ज/ब्याज = रू0 13,000 c) कुल बकाया = रू0 63,000 d) छूट की धनराशि (ब्याज/सरचार्ज की धनराशि का 80%) = रू0 10,400	
e) उपभोक्ता द्वारा देय कुल धनराशि = रू0 52,600 • पंजीकरण धनराशि (मूल बकाया धनराशि का 30 प्रतिशत) = रू0 15,000 • 06 किश्तों में भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि = रू0 37,600 (i) प्रथम किश्त = रू0 6,267 (ii) द्वितीय किश्त = रू0 6,267 (iii) तृतीय किश्त = रू0 6,267 (iv) चतुर्थ किश्त = रू0 6,267 (v) पंचम किश्त = रू0 6,267 (vi) षष्ठ्म किश्त = रू0 6,265	

प्रश्न सं0 12:– क्या किश्तों में डिफाल्ट कर सकते है ?

उत्तर:–

- बकाये की किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने को डिफाल्ट (छूटी हुई किश्त) कहा जाता है।
- 03 किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को कोई डिफाल्ट अनुमन्य नहीं होगा।
- 06 किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को केवल 01 डिफाल्ट अनुमन्य होगा (अंतिम किश्त को छोड़कर)। अगली तय किश्त के साथ ही डिफाल्ट किश्त (छूटी हुई किश्त) की राशि को भी जमा करना अनिवार्य होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न सं0 13:– **मेरा बिल तीन साल से गलत आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बिल जमा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा ?**

उत्तर:–

- जी हाँ, उपभोक्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org पर **उपभोक्ता कार्नर > सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध** में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है एवं संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। बिल संशोधन के लिए क्षेत्रों/कार्यालयों/उपकेन्द्रों पर नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। बिल संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने पर, मुफ्त विद्युत योजना में निर्धारित राशि के सापेक्ष समायोजन यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं योजना का पूर्ण लाभ उपभोक्ता/किसान को दिया जायेगा।
- **यह ध्यान रहे कि उक्त के साथ–साथ** उपभोक्ता को दिनांक 31 मार्च 2023 तक जो भी बकाया बिल में प्रदर्शित है, उसका 30 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30.06.2024 तक अन्तरिम रूप से जमा कराकर पंजीकरण कराना होगा एवं शेष बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करना होगा। बिल संशोधन उपरान्त धनराशि में जो परिवर्तन होगा वह संशोधन के समय समायोजित कर लिया जायेगां।

प्रश्न सं0 14:– **उपभोक्ताओं के बिल पर ब्याज/सरचार्ज की गणना के लिए कौन–सी तिथि प्रभावी होगी ?**

उत्तर:– इस योजना में निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये उनके बिल में ब्याज/सरचार्ज की छूट के लिए गणना 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर की जायेगी।

04-05-24

4.5.24

प्रश्न सं0 15:– क्या विद्युत चोरी के कारण हुये राजस्व निर्धारण पर भी छूट मिलेगी ?

उत्तरः–

- जी नहीं।
- पूर्व में दिनांक 08.11.2023 से 16.01.2024 तक लागू "एकमुश्त समाधान योजना" के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से "राजस्व निर्धारण" की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया गया था, जो इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अन्तिम बार दिया गया था। अतः अब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
- सर्वप्रथम विद्युत चोरी के सापेक्ष शमन एवं अन्तिम राजस्व निर्धारण की राशि का पूर्ण भुगतान करना होगा। उसके बाद उपभोक्ता को मुफ्त विद्युत योजना का लाभ लेने के लिए प्रश्न संख्या–01 के अनुसार दिनांक 30.06.2024 तक पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न सं0 16:– मेरे विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है क्या मुझे भी इस योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तरः–

- जी हाँ।
- ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल बकाया है एवं उनके विरूद्ध आर0सी0 भी निर्गत है, उन्हें पंजीकरण कराने हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी एवं शेष बकाया राशि का एकमुश्त अथवा (3 या 6) किश्तों में भुगतान करना होगा।
- उपभोक्ता पंजीकरण के पश्चात् अस्थाई रूप से विच्छेदित अपने पुराने संयोजन को चालू कराकर अथवा पी0डी0 के प्रकरण में पूर्ण भुगतान के उपरान्त नया विद्युत संयोजन लेकर मुफ्त विद्युत योजना का भी लाभ ले सकता है।
- इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को निर्गत आर0सी0 पर कलेक्शन चार्जेज (यदि कोई हो) को नियमानुसार राजस्व विभाग में जमा करना होगा।
- उपरोक्तानुसार पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त निर्गत आर0सी0 को वापस लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न सं0 17:– इस योजना का लाभ लेने के लिए मीटर लगाने की शर्त क्यों लगायी गयी है ?

उत्तरः–

- किसानों को मुफ्त बिजली देने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जायेगी वह मीटर खपत के आधार पर होगी। अतः सब्सिडी का सही मूल्य निर्धारित करने हेतु मीटर का लगाना आवश्यक है।
- साथ ही इस योजना में किसानों को प्रत्येक तिमाही 420 यूनिट/किलोवाट (140 यूनिट/किलोवॉट/माह) की छूट देने का प्राविधान है। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गयी विद्युत की गणना मीटर लगाकर ही सम्भव है। जिसके आधार पर उ0प्र0 सरकार द्वारा सब्सिडी दी जायेगी।

प्रश्न सं0 18:– क्या 140 Units/kW प्रतिमाह मुफ्त दी जा रही बिजली मेरी सिंचाई कार्य हेतु पर्याप्त होगी ?

उत्तरः–

- जी हाँ।
- मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के लिए 140 यूनिट/किलोवॉट/माह का मानक निर्धारित किया गया है।
- विद्युत खपत की गणना तिमाही आधार पर करते हुए बिलिंग की जानी है अर्थात प्रत्येक तिमाही में 420 यूनिट/किलोवाट तक विद्युत मुफ्त दी जायेगी। प्रायः यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु प्रत्येक तिमाही में (जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर एवं अक्टूबर से दिसम्बर) हर महीने सिंचाई की एक सी जरूरत नहीं होती है, किसी महीने ज्यादा तो किसी महीने बहुत कम और किसी महीने सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है अर्थात् निजी नलकूप भी किसी महीने ज्यादा चलेंगे तो किसी महीने कम और किसी महीने बिल्कुल नहीं चलेंगे। इस कारण हर तिमाही 420 यूनिट/किलोवाट मुफ्त बिजली सिंचाई हेतु पर्याप्त होगी।
- सिंचाई हेतु पूरे वर्ष में बिजली का उपयोग औसतन 4 माह ही होता है।

04/05/24

4.5.24

- उदाहरण स्वरूप रबी की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता सामान्यतः माह अक्टूबर/नवम्बर या जनवरी/फरवरी में होती है एवं नलकूप के द्वारा किसी भी संयोजन में प्रयोग की गयी विद्युत की गणना प्रत्येक तिमाही अर्थात् अक्टूबर/नवम्बर/दिसम्बर (तिमाही) या जनवरी/फरवरी/मार्च (तिमाही) के तीनों महीनों की खपत के आधार पर की जायेगी, इस प्रकार स्पष्ट है कि मुफ्त 420 यूनिट/किलोवॉट/तिमाही पर्याप्त है।
- सामान्यतः यदि कोई कृषक अपनी सिंचाई हेतु ही नलकूप का प्रयोग करता है तो इससे अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः उक्त मानक का निर्धारण सिंचाई कार्य हेतु पर्याप्त है।
- ऐसे किसान जो अधिक विद्युत का प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रत्येक तिमाही 420 यूनिट तक की विद्युत के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा एवं अतिरिक्त प्रयोग की गयी विद्युत का ही भुगतान किया जाना होगा।

प्रश्न सं0 19:– भुगतान की अंतिम तिथि क्या है ?

उत्तरः– भुगतान की अन्तिम तिथियां निम्नवत् हैं :–

•	पंजीकरण हेतु भुगतान की अन्तिम तिथि	30.06.2024

•	एकमुश्त का विकल्प चुनने पर भुगतान करने की अन्तिम तिथि	31.07.2024

•	03 किश्तों में भुगतान का विकल्प चुनने पर अन्तिम तिथि	
	प्रथम किश्त	31.07.2024
	द्वितीय किश्त	31.08.2024
	तृतीय किश्त	30.09.2024

•	06 किश्तों में भुगतान का विकल्प चुनने पर अन्तिम तिथि	
	प्रथम किश्त	31.07.2024
	द्वितीय किश्त	31.08.2024
	तृतीय किश्त	30.09.2024
	चतुर्थ किश्त	31.10.2024
	पंचम किश्त	30.11.2024
	षष्ठम किश्त	31.12.2024

07-05-24.

4.5.24